राजस्थान सरकार
कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान,
"आबकारी भवन", 2 गुमानियावालां, पंचवटी, उदयपुर (राजस्थान) 313 001
Fax 0294-2523124, Phone (Section)-2527086 EXT. -126 E-mail : policy.ho.excise@rajasthan.gov.in

क्रमांक F.32(B)(After Policy 2026-27)/EX/L/2026-06481-9018219 दिनांक -02-2026

वर्ष 2026–27 के आबकारी बंदोबस्त के लिए नवीनीकरण से शेष रहे कम्पोजिट मदिरा खुदरा विक्रय दुकानों के कलस्टर (समूह) के अनुज्ञापत्र हेतु ई–नीलामी में भाग लेने के सन्दर्भ में विस्तृत दिशा निर्देश एवं शर्ते :–

1. पात्रता

मदिरा विक्रय के लिये अनुज्ञापत्र हेतु वे ही व्यक्ति ई–निलामी में भाग ले सकेगें, जो राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 एवं इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों व भारतीय संविदा अधिनियम के तहत अनुबन्ध करने की योग्यता रखते हैं। मुख्य रूप से निम्नलिखित व्यक्ति ई–नीलामी में भाग लेने के लिये अयोग्य होंगे :–

(i) भारत का नागरिक नही है,

(ii) अठारह वर्ष से कम आयु का व्यक्ति,

(iii) व्यक्ति जो स्वयं, जामिन या अन्य किसी रूप में आबकारी विभाग का बाकीदार हो,

(iv) कोई भी व्यक्ति जिसके विरूद्ध राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 अथवा इसकी धारा 34 में उल्लेखित प्रावधानों अथवा नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड साईकोट्रोपिक सब्स्टेंसेज एक्ट, 1985 के अंतर्गत अपराध का कोई मामला दर्ज हो अथवा उसमें सजायाब हुआ हो।

(v) राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र धारण हेतु अयोग्य व्यक्ति।

(vi) राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/स्थानीय निकायों/अन्य किसी भी राजकीय अथवा अर्द्धराजकीय संस्थान में सेवारत व्यक्तियों/जन सेवकों को राजकीय अधिकारिता के अलावा व्यक्तिगत क्षमता में अनुज्ञापत्र धारण करने के लिये पात्र नही होंगे।

(vii) ई–नीलामी के लिये अपात्र व्यक्ति द्वारा बोली में भाग लेकर अनुज्ञापत्र प्राप्त करने के पश्चात अपात्रता की जानकारी होने पर जारी अस्थायी/स्थायी अनुज्ञापत्र निरस्त योग्य होगा एवं ऐसे अपात्र बोलीदाता द्वारा जमा कराई गई समस्त प्रकार की राशियां जप्त सरकार की जायेगी।

2. व्यक्तिगत ई–बोली के अलावा भागीदारी फर्म/कम्पनी/साझेदारी फर्म के माध्यम से निम्नानुसार ई–बोली में भाग लिया जा सकता है :–

2.1 **सीमित दायित्व भागीदार :–** सीमित दायित्व भागीदारी के नाम से भी ई–नीलामी में भाग लिया जा सकता है। सीमित दायित्व भागीदारी के रूप में ई–नीलामी में भाग लेने की स्थिति में भागीदारी में सम्मिलित सभी व्यक्तियों को पंजीकरण एवं ई–नीलामी में भाग लेने हेतु आवश्यक सभी औपचारिकताएं पूर्ण करनी होगी। सभी भागीदारों को अनुज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करने होगे। सीमित दायित्व भागीदारी में सम्मिलित समस्त व्यक्ति पृथक पृथक रूप से अनुज्ञापत्र धारित करने हेतु पात्र होना आवश्यक है। सीमित दायित्व भागीदारी के नाम से अनुज्ञापत्र स्वीकृत किये जाने की स्थिति में भागीदारी में सम्मिलित समस्त व्यक्ति वार्षिक गारन्टी राशि व अन्य शुल्क आदि की पूर्ति के लिये संयुक्त एंव पृथक–पृथक रूप से उत्तरदायी होंगे। दायित्वों के उनके आपसी बंटवारे की जानकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Shivprasad M Nakate
Designation : Commissioner
Date: 2026.02.20 19:48:59 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 20653762

आंतरिक व्यवस्था से विभाग को कोई सरोकार नही रहेगा। ऐसे भागीदारी में सम्मिलित व्यक्ति, अनुज्ञाधारियों द्वारा आयकर विभाग में प्रस्तुत की जाने वाली सूची से भिन्न नही होगे। अनुज्ञापत्र में सम्मलित सीमित दायित्व वाली भागीदारी फर्म के किसी भी भागीदार के अनुज्ञापत्र की अवधि में भागीदारी फर्म से अलग हो जाने पर अनुज्ञापत्र स्वतः ही निरस्त हो जायेगा एवं अनुज्ञाधारियों की जमा समस्त प्रकार की राशि जब्त सरकार हो जायेगी एवं विभागीय बकाया एवं अन्य दायित्वों के प्रति संयुक्त एवं पृथक–पृथक रूप से जिम्मेदार रहेगें। सीमित दायित्व में सम्मिलित प्रत्येक भागीदार व्यक्तिगत रूप से अनुज्ञापत्र धारित करने की योग्यता रखते हो,यह आवश्यक है।

2.2 **रजिस्टर्ड साझेदारी फर्म :–** साझीदारी फर्म के नाम से भी ई–नीलामी में भाग लिया जा सकता है। साझेदार फर्म के नाम से ई–नीलामी में भाग लेने पर सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करनी होगी तथा पार्टनरशिप डीड की स्वः प्रमाणित प्रति अपलोड करनी होगी। बोली स्वीकार हो जाने पर सभी साझीदारों को अनुज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करने होगे। सभी साझेदार वार्षिक गारन्टी राशि एवं अन्य देय शुल्क इत्यादि जमा कराने के लिए संयुक्त एंव पृथक–पृथक रूप से उत्तरदायी होगे। अनुज्ञा पत्र की अवधि तक आबकारी विभाग की अनुमति के बिना साझेदारी फर्म से साझेदार अपना नाम वापस नही ले सकेगे। अनुज्ञापत्र में सम्मलित साझेदारी फर्म के किसी भी साझेदार के अनुज्ञापत्र की अवधि में बिना विभागीय अनुमति के साझेदारी फर्म से अलग हो जाने पर अनुज्ञापत्र स्वतः ही निरस्त हो जायेगा एवं अनुज्ञाधारी की जमा समस्त प्रकार की राशि जप्त सरकार हो जायेगी एवं सभी साझेदार संयुक्त एवं पृथक–पृथक रूप से विभागीय बकाया एवं अन्य दायित्वों के प्रति जिम्मेदार रहेगें। सभी साझेदार व्यक्तिगत रूप से अनुज्ञापत्र धारित करने की पात्रता रखना आवश्यक है।

2.3 **कम्पनीः–** कम्पनी के द्वारा ई–नीलामी में भाग लेने की स्थिति में बोलीदाता के रूप में कम्पनी का नाम अंकित करना होगा। पिता का नाम अंकित करना आवश्यक नहीं होगा। कम्पनी द्वारा किसी एक निदेशक को ई–नीलामी में भाग लेने हेतु अधिकृत किया जा सकता है। ई–नीलामी में भाग लेने हेतु अधिकृत किये गये व्यक्ति को ई–नीलामी में भाग लेने हेतु आवश्यक समस्त औपचारिकताएं पूरी करनी होगी तथा कम्पनी के नाम बोली स्वीकार हो जाने की स्थिति में दुकान संचालन करने से पूर्व अधिकृत पत्र की प्रति, कम्पनी के सभी निदेशक का संयुक्त एंव पृथक पृथक रूप से असीमित उत्तरदायित्व होगा। कम्पनी के लिये निम्न अतिरिक्त सूचनाऐं देना भी अनिवार्य होगाः–

1. कम्पनी का मेमोरेन्डम ऑफ एसोशियेशन एवं आर्टिकल ऑफ एसोशियेशन की प्रमाणित प्रति।
2. निदेशकों के नाम व पूर्ण पते।
3. गत दो वर्षो के अंतिम लेखो की अंकेक्षित प्रति।

दस्तावेज ई–नीलामी में भाग लेने की दिनांक से पूर्व के होना आवश्यक होंगे।

2.4 **व्यक्तियों का समूह :–** व्यक्तियों के समूह के नाम से भी ई–नीलामी में भाग लिया जा सकता है। व्यक्तियों के समूह के रूप में ई–नीलामी में भाग लेने की स्थिति में व्यक्तियों के समूह में सम्मिलित सभी व्यक्तियों को पंजीकरण एवं ई–नीलामी में भाग लेने हेतु आवश्यक सभी औपचारिकताएं पूर्ण करनी होगी। व्यक्तियों के समूह में सम्मिलित समस्त व्यक्ति की ई–बोली स्वीकृत होने पर सभी अनुज्ञाधारी कहलायेगें एवं [illegible] तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Shivprasad M Nakate
Designation : Commissioner
Date: 2026.02.20 19:48:59 IST
Reason: Approved

पृथक–पृथक रूप से उत्तरदायी होगें। ऐसे समूह में सम्मलित व्यक्ति आयकर विभाग में प्रस्तुत की जाने वाली सूची से भिन्न नही होगें। यदि कोई व्यक्ति समूह से पृथक हो जाता है या विभाग द्वारा समूह से पृथक कर दिया जाता है तो भी अनुज्ञापत्र की सम्पूर्ण अवधि तक समूह के अन्य सदस्यो की भॉति संयुक्त एवं पृथक–पृथक रूप से विभाग के प्रति उत्तरदायी रहेगा। समूह में सम्मिलित समस्त व्यक्तियों को अनुज्ञा पत्र धारण करने हेतु व्यक्तिगत रूप से पात्र होना आवश्यक होगा।

3. अवधि

(1) आबकारी बन्दोबस्त की अवधि एक वर्ष (दिनांक 1–4–2026 से दिनांक 31–3–2027 तक) के लिये होगी। ई–नीलामी में न्यूनतम रिजर्व प्राइस पर प्राप्त अधिकतम बोली के आधार पर वर्ष 2026–27 का अनुज्ञापत्र स्वीकृत किया जाएगा।

(2) वर्ष 2026–27 के लिए बिन्दु संख्या (1) के अनुसार स्वीकृत एवं पात्र अनुज्ञाधारियों को आबकारी नीति वर्ष 2025–29 के अनुसार आगामी वर्ष 2027–28 एवं 2028–29 के लिए निर्धारित शर्तो पर अनुज्ञापत्रों के नवीनीकरण का अवसर दिया जाएगा।

4. न्यूनतम रिजर्व प्राईसः

4.1 ऑनलाईन नीलामी के लिये संबंधित कलस्टर (समूह) की न्यूनतम रिजर्व प्राईस का निर्धारण देशी मदिरा एवं राजस्थान निर्मित मदिरा की आबकारी ड्यूटी की राशि तथा भारत निर्मित विदेशी मदिरा (IMFL), हेरिटेज मदिरा, बीआईआई, बीयर एवं वाईन की आबकारी ड्यूटी व अतिरिक्त आबकारी ड्यूटी की राशि तथा BIO मदिरा की होलसेल फीस का योग कर तय की जायेगी।

4.2 वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु मदिरा दुकानों के समूह के लिये रिजर्व प्राईस का निर्धारण संबंधित कलस्टर (समूह) में शामिल दुकानों की वर्ष 2025–26 की वार्षिक गारण्टी राशि में 12.5 प्रतिशत की वृद्वि कर निर्धारित की जायेगी। इन समहों (Clusters) में आने वाली प्रत्येक मदिरा दुकान की वर्ष 2026–27 हेतु निर्धारित न्यूनतम रिजर्व प्राईस का योग उस मदिरा समूह (Cluster) की न्यूनतम रिजर्व प्राईस होगी।

4.3 समूह में सम्मिलित किसी दुकान के वर्ष 2025–26 में पूर्ण वर्ष से कम अवधि के लिए संचालित नहीं होने की स्थिति में संचालन अवधि की वार्षिक गारंटी राशि के आधार पर पूरे वर्ष के लिये वार्षिक गारंटी राशि की गणना की जाकर उसमें 12.5 प्रतिशत वृद्वि करके न्यूनतम रिजर्व प्राईस निर्धारित की जायेगी।

4.4 एक वर्ष से कम अवधि के लिये नीलामी की स्थिति में शेष अवधि हेतु न्यूनतम रिजर्व प्राईस का निर्धारण अवधि के आधार पर आनुपातिक रूप से किया जायेगा।

4.5 समूह (Cluster) वाईज दुकानों की संख्या, न्यूनतम रिजर्व प्राईस में देशी मदिरा एवं राजस्थान निर्मित मदिरा की आबकारी ड्यूटी की राशि तथा कुल ड्यूटी की राशि का स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया जायेगा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shivprasad M Nakate
Designation : Commissioner
Date: 2026.02.20 19:48:59 IST
Reason: Approved

5. बन्दोबस्त की प्रणाली

देशी मदिरा, राजस्थान निर्मित मदिरा (RML), भारत निर्मित विदेशी मदिरा (IMFL) हेरिटेज मदिरा, BII, BIO, बीयर एवं वाईन की कम्पोजिट मदिरा दुकानों के कलस्टर (समूह) हेतु वर्ष 2026–27 के अनुज्ञापत्र **न्यूनतम रिजर्व प्राईस** निर्धारित कर ई–नीलामी प्रक्रिया से अधिकतम बोली के अनुसार प्राप्त **वार्षिक गारण्टी राशि** पर प्रदत्त किये जायेंगे।

6 बन्दोबस्त की प्रकिया

6.1 आबकारी एवं मद्यसंयम नीति वर्ष 2025–29 व इसमें संशोधन दिनांक 27.01.2026 के अनुसार वर्ष 2026–27 हेतु नवीनीकरण से शेष रहे मदिरा कलस्टर (समूह) के लिए ऑनलाईन नीलामी द्वारा बन्दोबस्त किया जायेगा। इस हेतु विभागीय वेबसाईट https://iems.rajasthan.gov.in पर SSO (Single Sing on) के माध्यम से लॉगइन करते हुए निर्धारित प्रकिया से विभिन्न चरणों में निलामी विज्ञप्ति के अनुसार ई–ऑक्शन किया जायेगा।

6.2 नीलामी एक कार्य दिवस में न्यूनतम पांच घण्टे की होगी एव उसके पश्चात् जब तक बोली लगती रहे तब तक 10 मिनट के अनन्त विस्तार (indefinite extension) तक जारी रहेगी।

6.3 बोलीदाता को कम से कम रू. 10,000/– अथवा रू. 10,000 के गुणांक मे बढाकर बोली लगानी होगी।

6.4 बोलीदाता एक बार में रिजर्व प्राइस/पिछली बोली से 10 प्रतिशत से अधिक राशि बढाकर बोली नही लगा सकेगा।

6.5 कम्पोजिट दुकानों के कलस्टर (समूह) का जिलेवार व नीलामी की दिनांकवार विवरण एवं उनके आवेदन शुल्क, न्यूनतम रिजर्व प्राईस एवं अमानत राशि का विवरण विभागीय वेबसाईट https://iems.rajasthan.gov.in पर नीलामी की नियत दिनांक से 03 दिवस पूर्व से उपलब्ध रहेगा।

6.6 ई–नीलामी में भाग लेने के इच्छुक बोलीदाता द्वारा विभागीय वेबसाइट https://iems.rajasthan.gov.in से अपने SSO ID के माध्यम से लॉगइन करते हुए विभागीय ई–ऑक्शन पोर्टल में निर्धारित प्रक्रियानुसार नीलामी विज्ञप्ति के अनुसार एक बारीय पंजीकरण करने उपरान्त ऑनलाइन नीलामी में भाग लिया जा सकेगा। इच्छुक बोलीदाता को ई–नीलामी में भाग लेने से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान सरकार के पोर्टल https://sso.rajasthan.gov.in पर "Citizen" केटेगरी के अन्तर्गत SSO ID बनाना होगा। उक्त पोर्टल पर SSO ID बनाने की प्रकिया का Video Tutorial भी उपलब्ध है। बोलीदाता द्वारा स्वंय अथवा ई–मित्र के माध्यम से SSO ID बनाया जा सकता है। SSO ID बनाने का यूजर मैन्युअल वेबसाइट भी ई–नीलामी से संबंधित अन्य सूचनाओं के साथ भी उपलब्ध होगा। जिन व्यक्तियों के पास पहले से ही SSO ID है, उन्हें उसे दुबारा बनाने की आवश्यकता नहीं है। **SSO ID में लॉगिन होने के उपरान्त बोलीदाता को IEMS-2.0 को सर्च करना है सर्च किये गए IEMS-2.0 को क्लिक करने के उपरान्त Public Service पर क्लिक करने के उपरान्त Auction पर क्लिक करना है। इस प्रकार नीलामी में भाग लेने के लिये उपलब्ध दुकानें प्रदर्शित होगें।**

6.7 ई–नीलामी में भाग लेने वाले बोलीदाता को संबंधित मदिरा दुकानों के कलस्टर हेतु निर्धारित आवेदन शुल्क एवं अमानत राशि ई–नीलामी पोर्टल पर उपलब्ध प्रक्रियानुसार ऑनलाइन जमा करानी होगी जिसके आधार पर वह ई–नीलामी में भाग ले सकेगा। बोलीदाता द्वारा चुने हुए कलस्टर की ई–नीलामी में भाग लेने से पूर्व उक्त कलस्टर हेतु वांछित आवेदन शुल्क एवं पर्याप्त अमानत राशि ऑनलाइन जमा कराया जाना अनिवार्य होगा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shivprasad M Nakate
Designation : Commissioner
Date: 2026.02.20 19:48:59 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 20653762

6.8 ई–नीलामी में भाग लेने वाले बोलीदाता द्वारा कलस्टर का चयन कर वांछित आवेदन शुल्क एवं उसके नीलामी लगाने की सीमा तक पर्याप्त अमानत राशि नीलामी की तिथि से यथा संभव एक दिवस पूर्व ऑनलाइन जमा करा दी जानी चाहिये। अन्तिम समय में भुगतान किये जाने की स्थिति में तकनीकी समस्या उत्पन्न होने की सम्भावना से इन्कार नही किया जा सकता है। अतः बोलीदाता को नीलामी से पूर्व ही वांछित आवेदन शुल्क एवं अमानत राशि का भुगतान कर देना चाहिये। बोलीदाता द्वारा अन्तिम समय में भुगतान करने पर किसी भी तकनीकी समस्या के कारण ई–ऑक्शन पोर्टल पर भुगतान प्राप्त नही होने की स्थिति के लिए बोलीदाता स्वंय ही जिम्मेदार होगा।

6.9 आवेदन शुल्क व अमानत राशि ऑनलाईन/इंटरनेट बैंकिग के माध्यम से जमा कराये जा सकते है।

6.10 बोलीदाता एक से अधिक कलस्टर के लिए ई–नीलामी में भाग ले सकेगा। एक से अधिक कलस्टर की नीलामी में भाग लेने हेतु बोलीदाता को प्रत्येक कलस्टर हेतु पृथक–पृथक आवेदन शुल्क व अमानत राशि जमा करानी होगी।

6.11 वर्ष 2026–27 के लिये कम्पोजिट मदिरा दुकानों के लिए अप्रतिदेय (Non-refundable) आवेदन शुल्क निम्नानुसार निर्धारित है :–

श्रेणी	आवेदन शुल्क
2 करोड़ रूपये तक न्यूनतम रिजर्व प्राईस वाले कलस्टर हेतु	60,000/–
2 करोड़ रूपये से अधिक न्यूनतम रिजर्व प्राईस वाले कलस्टर हेतु	1,20,000/–

6.12 **अमानत राशि** (Earnest Money)–

प्रत्येक कलस्टर के लिये ऑनलाईन नीलामी में भाग लेने हेतु निर्धारित न्यूनतम रिर्जव प्राईस की 2 प्रतिशत राशि अमानत राशि के रूप में आवेदन के साथ जमा करायी जानी है। नीलामी के दौरान बिड राशि के अनुसार अतिरिक्त अमानत राशि भी जमा करानी होगी। नीलामी प्रक्रिया में Dynamic अमानत राशि का प्रावधान रखा गया है।

वर्ष 2026–27 हेतु ऑनलाईन नीलामी प्रक्रिया में Dynamic अमानत राशि का प्रावधान रखा गया है। प्रत्येक दुकान के लिये ऑनलाईन नीलामी में भाग लेने हेतु निर्धारित न्यूनतम रिजर्व प्राईस से जिस अधिकतम राशि तक बोलीदाता बोली लगाने का इच्छुक है, के 2 प्रतिशत के बराबर अमानत राशि बोली से पूर्व विभागीय ई–ऑक्शन पोर्टल में जमा रखना होगा उदाहरणस्वरूप, अगर किसी दुकान की न्यूनतम रिजर्व प्राईस 1.00 करोड है और बोलीदाता उस बोली को 2.00 करोड तक ले जाने का इच्छुक है तो उसको अमानत राशि के पेटे 4.00 लाख रू विभागीय ई–ऑक्शन पोर्टल में जमा रखना होगा। ई–ऑक्शन पोर्टल में बोलीदाता के पक्ष में जमा एवं उपलब्ध अमानत राशि के अनुसार ही बोलीदाता ई–नीलामी में बोली लगा सकेगा। अनुज्ञापत्र हेतु चयनित आवेदक द्वारा जमा कराई गई अमानत राशि को धरोहर राशि पेटे समायोजित किया जा सकेगा।

6.13 उच्चतम बोलीदाता (H1) को विभागीय ई–नीलामी पोर्टल द्वारा बोली अंतिम (Finalization of Bid) होने की सूचना दी जायेगी।

6.14 नीलामी प्रक्रिया में न्यूनतम रिजर्व प्राइज पर ऑनलाईन बोली में अधिकतम राशि देने वाले बोलीदाता को सफल बोलीदाता के रूप में चयन किया जायेगा। कलस्टरवार नीलामी से प्राप्त अधिकतम बोली सम्बन्धित कलस्टर के लिये '**वार्षिक गारण्टी राशि**' के रूप में निर्धारित की जायेगी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shivprasad M Nakate
Designation : Commissioner
Date: 2026.02.20 19:48:59 IST
Reason: Approved

6.15 सफल बोलीदाता को मदिरा कलस्टर के लिए स्वीकृत निर्धारित वार्षिक गारण्टी राशि की 8 प्रतिशत के बराबर धरोहर राशि (Security Deposit) बोली स्वीकार होने की दिनांक (ई–नीलामी दिवस को छोडकर) से 05 कार्यदिवस या दुकान प्रारम्भ करने से पूर्व, जो भी पहले हो, के भीतर जमा करानी होगी।

6.16 सफल बोलीदाता को वर्ष 206–27 के लिये वार्षिक गारण्टी राशि का 05 प्रतिशत राशि अग्रिम वार्षिक गारण्टी राशि के रूप में नीलामी की बोली स्वीकार होने के 05 कार्यदिवस या दुकान प्रारम्भ करने से पूर्व, जो भी पहले हो, में राजकोष में जमा करानी होगी।

6.17 सफल बोलीदाता को वार्षिक गारन्टी राशि की 5 प्रतिशत राशि वार्षिक लाईसेंस फीस के रूप में जमा करानी होगी जिसकी आधी राशि (50 प्रतिशत राशि) बोली स्वीकार होने के 05 कार्यदिवस या दुकान प्रारम्भ करने से पूर्व, जो भी पहले हो, में राजकोष में जमा करानी होगी। शेष 50 प्रतिशत राशि 30 सितम्बर, 2026 तक राजकोष में जमा करानी होगी।

6.18 सफल बोलीदाता द्वारा जमा कराई गई अमानत राशि (Earnest Money) को संबंधित मदिरा कलस्टर की धरोहर राशि पेटे समायोजन किया जा सकेगा।

6.19 निर्धारित समय में वाँछित राशियाँ यथा– धरोहर राशि, अग्रिम वार्षिक गारन्टी राशि एवं वार्षिक लाईसेंस फीस जमा न कराने पर स्वीकृति निरस्त कर समस्त जमा राशि जप्तराज की जायेगी।

6.20 सफल बोलीदाता (H1) के किसी कारण से बेक आउट होने पर द्वितीय उच्चतम बोलीदाता (H2) को सफल बोलीदाता (H1) द्वारा प्रस्तावित वार्षिक गारण्टी राशि पर उस कलस्टर को लेने हेतु अवसर दिया जायेगा तथा द्वितीय उच्चतम बोलीदाता (H2) द्वारा सहमति देने पर पूर्व उल्लेखित प्रक्रिया अनुसार राशि जमा कराने पर उसके पक्ष में अस्थायी अनुज्ञापत्र की स्वीकृति जारी की जायेगी।

6.21 द्वितीय उच्चतम बोलीदाता (H2) द्वारा उपर्युक्त अवसर के बाद सहमति ना देने पर तृतीय उच्चतम बोलीदाता (H3) को प्रथम सफल बोलीदाता (H1) द्वारा प्रस्तावित वार्षिक गारण्टी राशि पर उस कलस्टर को लेने हेतु अवसर दिया जायेगा तथा तृतीय उच्चतम बोलीदाता (H3) द्वारा सहमति देने पर पूर्व उल्लेखित प्रक्रिया अनुसार राशि जमा कराने पर उसके पक्ष में अस्थायी अनुज्ञापत्र जारी किया जायेगा।

6.22 प्रथम (H1), द्वितीय (H2) व तृतीय उच्चतम बोलीदाता (H3) द्वारा उपर्युक्त प्रक्रिया में बेक आउट होने पर नये सिरे से निर्धारित प्रक्रिया अनुसार पुनः बन्दोबस्त की कार्यवाही की जाएगी।

6.23 नीलामी प्रक्रिया में न्यूनतम रिजर्व प्राईस पर ऑनलाईन बोली में अधिकतम राशि देने वाले बोलीदाता को सफल आवेदक के रूप में चयन किया जायेगा, परन्तु एक व्यक्ति एक जिले में दो दुकानों से अधिक एवं सम्पूर्ण राज्य में पांच कलस्टर से अधिक नहीं ले सकेगा। यह शर्त राज्य सरकार के उपक्रम राजस्थान गंगानगर शुगर मिल्स लि. एवं राजस्थान स्टेट बेवरेजेज कॉर्पोरेशन लि. पर लागू नहीं होगी।

6.24 बोलीदाता की किसी आबकारी जिले में दो से अधिक कलस्टर के लिए उच्चतम बोली रहने पर केवल अधिकतम गारन्टी राशि वाले दो कलस्टर के लिए ही अस्थाई अनुज्ञापत्र की स्वीकृति जारी की जाएगी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shivprasad M Nakate
Designation : Commissioner
Date: 2026.02.20 19:48:59 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 20653762

6.25 किसी बोलीदाता की राज्य में पांच से अधिक कलस्टर के लिए उच्चतम बोली रहने पर केवल अधिकतम गारन्टी वाले पांच कलस्टर के लिए ही अस्थाई अनुज्ञापत्र की स्वीकृति जारी की जाऐगी। बोलीदाता का यह दायित्व होगा की राज्य के विभिन्न जिलों में उसके द्वारा लगाई गई बोलियों में से रही उच्चतम बोली की सूचना (कलस्टर व आबकारी वृत्तवार) संबंधित जिला आबकारी अधिकारियों को नीलामी समाप्ति के तत्काल पश्चात् सूचित करे।

6.26 यदि आबकारी जिले में किसी बोलीदाता की दो तथा राज्य में पांच से अधिक कलस्टर के लिए उच्चतम बोली रहती है तो बोलीदाता को संबंधित जिले में वे दो कलस्टर व राज्य में वे पांच कलस्टर स्वीकृत किये जाएगे जिनकी वार्षिक गारण्टी राशि अधिकतम हो। शेष कलस्टर हेतु द्वितीय उच्चतम बोलीदाता (H2) को सफल बोलीदाता (H1) द्वारा प्रस्तावित वार्षिक गारण्टी राशि पर उस कलस्टर को लेने हेतु अवसर दिया जायेगा तथा द्वितीय उच्चतम बोलीदाता (H2) द्वारा सहमति देने पर पूर्व उल्लेखित प्रक्रिया अनुसार राशि जमा कराने पर उसके पक्ष में अस्थायी अनुज्ञापत्र की स्वीकृति जारी की जायेगी।

6.27 द्वितीय उच्चतम बोलीदाता (H2) द्वारा उपर्युक्त अवसर के बाद सहमति ना देने पर तृतीय उच्चतम बोलीदाता (H3) को प्रथम सफल बोलीदाता (H1) द्वारा प्रस्तावित वार्षिक गारण्टी राशि पर उस कलस्टर को लेने हेतु अवसर दिया जायेगा तथा तृतीय उच्चतम बोलीदाता (H3) द्वारा सहमति देने पर पूर्व उल्लेखित प्रक्रिया अनुसार राशि जमा कराने पर उसके पक्ष में अस्थायी अनुज्ञापत्र जारी किया जायेगा। द्वितीय (H2) व तृतीय उच्चतम बोलीदाता (H3) द्वारा उपर्युक्त प्रक्रिया में बेक आउट होने/सहमति नहीं देने पर नये सिरे से निर्धारित प्रक्रिया अनुसार पुनः बन्दोबस्त की कार्यवाही की जाएगी।

6.28 ई–नीलामी समाप्ति के पश्चात प्रथम तीन बोलीदाताओं (H1, H2, व H3) के अतिरिक्त शेष सभी बोलीदाताओं की अमानत राशि उनके द्वारा ई–ऑक्शन पोर्टल में पंजीकरण करते समय दर्ज बैक खाते में ऑनलाइन रिफण्ड की जायेगी। अतः बोलीदाता को ई–ऑक्शन पोर्टल में पंजीकरण करते समय उसके बैक खाते से संबंधित समस्त सूचनाऍ बिना किसी त्रुटी के सही रूप से दर्ज करना सुनिश्चित करना होगा जिससे सही बैंक खाते में ही अमानत राशि का रिफण्ड हो सके। उक्त के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति के लिए बोलीदाता स्वयं ही जिम्मेदार होगा।

6.29 प्रथम तीन उच्चतम बोलीदाता (H1, H2,वं H3) में से जिस बोलीदाता के पक्ष में अनुज्ञापत्र जारी होता है उसके अनुज्ञापत्र जारी होने के उपरांत H1 एवं अनुज्ञाधारी के अतिरिक्त शेष बोलीदाताओं की अमानत राशि संबंधित जिला आबकारी अधिकारी के निर्देशानुसार संबंधित बोलीदाता द्वारा ई–ऑक्शन पोर्टल में पंजीकरण करते समय दर्ज बैक खाते में ऑनलाइन रिफण्ड कर दी जायेगी।

6.30 बोलीदाता को ई–नीलामी में भाग लेने से पूर्व विभागीय वेबसाईट https://iems.rajasthan.gov.in पोर्टल पर उपलब्ध आबकारी एवं मद्यसंयम नीति वर्ष 2025–29 व उक्त नीति में संशोधन दिनांक 27.01.2026, समस्त दिशा–निर्देश, प्रक्रिया एवं शर्तो का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लिया जाना चाहिये।

6.31 बोलीदाता कम्प्यूटर/लैपटॉप को इन्टरनेट से जोड कर घर, कार्यालय, ई–मित्र सेन्टर तथा साइबर कैफे के माध्यम से ई–नीलामी में भाग ले सकता है।

6.32 राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 एवं इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के समस्त प्रावधान यथारूप में लागू होंगे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shivprasad M Nakate
Designation : Commissioner
Date: 2026.02.20 19:48:59 IST
Reason: Approved

6.33 ई–नीलामी के संबंध में अन्य जानकारी विभागीय वेबसाईट https://iems.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। अन्य जानकारी हेतु संबंधित अतिरिक्त आयुक्त जोन, जिला आबकारी अधिकारी एवं जिला आबकारी कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।

6.34 ई–नीलामी के संबंध में अन्य प्रावधान आबकारी एवं मद्यसंयम नीति 2025–29 एवं उक्त नीति में संशोधन दिनांक 27.01.2026 के अनुसार रहेगे।

6.35 ई–नीलामी के संबंध में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो न्यायिक क्षेत्र संबंधित जिला ही रहेगा।

7. धरोहर राशि अदायगी

7.1 वर्ष 2026–27 के लिए निर्धारित वार्षिक गारंटी राशि की 8 प्रतिशत राशि, धरोहर राशि के रूप में जमा करवाई जाएगी।

7.2 सफल बोलीदाता को धरोहर राशि के रूप में वर्ष 2026–27 की निर्धारित वार्षिक गारन्टी राशि की 8 प्रतिशत राशि जमा करानी होगी। सफल बोलीदाता के नाम स्वीकृति जारी होने पर देय धरोहर राशि (अमानत राशि को समायोजित करते हुए) बोली स्वीकार होने की दिनांक से (ई–नीलामी दिवस को छोडकर) 05 कार्यदिवस या दुकान प्रारम्भ करने से पूर्व, जो भी पहले हो, में संबंधित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में ई–ग्रास चालान के माध्यम से संबंधित बजट मद के अन्तर्गत राजकोष में जमा करानी होगी।

7.3 नवीनीकरण की स्थिति में अनुज्ञाधारी द्वारा वर्ष 2026–27 व 2027–28 की जमा कराई गई धरोहर राशि का क्रमशः वर्ष 2027–28 व 2028–29 की धरोहर राशि के पेटे समायोजित कराकर अन्तर राशि जमा करानी होगी।

8. अग्रिम वार्षिक गारण्टी राशि

8.1 अनुज्ञाधारी को वर्ष 2026–27 के लिये निर्धारित वार्षिक गारण्टी राशि का 5 प्रतिशत राशि अग्रिम वार्षिक गारण्टी राशि के रूप में बोली स्वीकार होने की दिनांक से 5 कार्यदिवस या दुकान प्रारम्भ करने से पूर्व, जो भी पहले हो, में राजकोष में जमा करानी होगी।

8.2 इस 5 प्रतिशत अग्रिम वार्षिक गारण्टी राशि का वर्ष 2026–27 के माह जनवरी से माह मार्च में निर्धारित मासिक गारंटी पूर्ति के लिये मदिरा निर्गम हेतु देय आबकारी ड्यूटी में समायोजन किया जा सकेगा।

8.3 नवीनीकरण की स्थिति में अनुज्ञाधारी वर्ष 2026–27 व 2027–28 हेतु जमा कराई अग्रिम वार्षिक गारंटी राशि का क्रमशः वर्ष 2027–28 व 2028–29 की अग्रिम वार्षिक गारंटी राशि के पेटे समायोजन किया जा सकेगा।

9. वार्षिक लाईसेंस फीस :–

9.1 मदिरा समूह के लिये वर्ष 2026–27 की निर्धारित वार्षिक गारंटी राशि की 5 प्रतिशत राशि वार्षिक लाईसेन्स फीस के रूप में जमा करानी होगी।

9.2 यह राशि दो समान किश्तों में – 50 प्रतिशत राशि दुकान प्रारंभ करने से पूर्व तथा शेष 50 प्रतिशत राशि दिनांक 30 सितम्बर, 2026 तक राजकोष में जमा करानी होगी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shivprasad M Nakate
Designation : Commissioner
Date: 2026.02.20 19:48:59 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 20653762

9.3 वार्षिक लाईसेंस फीस की जमा कराई गई राशि के विरूद्व अनुज्ञाधारी द्वारा देशी मदिरा का भराव लिया जा सकेगा अर्थात इसके विरूद्व देशी मदिरा के उठाव की अनुमति होगी।

9.4 यह भराव अनुज्ञाधारी द्वारा मासिक गारंटी पूर्ति की शर्त पर माह अक्टूबर से मार्च तक दिया जाएगा तथा इसकी गणना गारंटी पूर्ति पेटे नही की जाएगी।

10. दुकानों एवं गोदाम की अवस्थिति :–

10.1 समस्त दुकानों तथा गोदामों के लोकशन राजस्थान आबकारी नियम तथा नियमों में निर्धारत प्रावधानों तथा माननीच सर्वोच्य न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गो हेतु निर्धारित न्यूनतम प्रतिबंधित दूरी की पालना सुनिश्चित करते हुए अनुज्ञाधारी के Self Disclamer पर ऑनलाईन स्वतः स्वीकृत किये जायेंगे। उनके जिओ टैग के कॉडिनेट डाटा को ऑनलाईन फीड करके आस–पास के विद्यालय, धार्मिक स्थल, आंगनवाडी तथा अस्पताल आदि को शामिल किया जाकर उनकी स्थिति अंकित करनी होगी।

10.2 सिविल अपील संख्या 12164–12166 राज्य बनाम के बालू. में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.12.2016 तथा इस निर्णय के विरूद्व प्रस्तुत अपील संख्या 12179/2016 में पारित निर्णय दिनांक 31.03.2017 की तथा उक्त की निरन्तरता में स्पेशल लीव पिटीशन (सिविल संख्या 10243 ऑफ 2017 अराईव सेफ सोसायटी ऑफ चण्डीगढ़ बनाम द यूनियन टेरिटेरी ऑफ चण्डीगढ व अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.07.2017 एवं सिविल अपील सख्यां 12164–12666 ऑफ 2016 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.02.2018 के क्रम में राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गो (National highways and State highways) पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मदिरा दुकान की अवस्थिति के संबंध में निर्धारित प्रतिबन्धित दूरी की पालना सुनिश्चित की जायेगी।

10.3 वर्ष 2025–26 में मदिरा की दुकान/गोदाम की अवस्थिति इस वर्ष 2026–27 में बंदोबस्त के दौरान पूर्व स्थान के लिये ही अनुज्ञाधारियों द्वारा अनुरोध किया जाता है, तो दुकान की अवस्थिति की स्वीकृति स्वतः ही मानी जाएगी।

10.4 दुकान/गोदाम की लोकेशन स्वतः स्वीकृति पश्चात, संबंधित जिला आबकारी अधिकारी द्वारा जांच कराई जाएगी, जिसमें अनुज्ञाधारी द्वारा गलत सूचना के आधार पर लोकेशन स्वीकृत कराया जाना पाये जाने पर स्वीकृति को तुरंत निरस्त किया जाएगा। नये स्थान पर लोकेशन स्वीकृत कराने हेतु अनुज्ञाधारी द्वारा 1.00 लाख रूपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे।

10.5 मदिरा भण्डारण के लिये राशि रूपये 3.00 लाख वार्षिक फीस जमा कराने पर दुकान हेतु एक गोदाम की अनुमति दी जा सकेगी। राशि रूपये 6.00 लाख की वार्षिक फीस पर 1 अतिरिक्त गोदाम भी स्वीकृत कराया जा सकेगा। इसमें शहरी क्षेत्र में अपने विक्रय काउंटर (दुकान) के 100 मीटर परिधि में तथा ग्रामीण क्षेत्र में सुविधानुसार दुकान के निर्धारित क्षेत्र में गोदाम अनुमत किया जा सकेगा, परन्तु दुकान के लिये स्वीकृत गोदाम की अवस्थिति पड़ोस की अन्य दुकान या समूह के क्षेत्र से न्यूनतम 3 किलोमीटर की दूरी से कम दूरी पर स्वीकृत नहीं की जाएगी। शहरी क्षेत्र के दुकान

Signature Not Verified

Digitally signed by Shivprasad M Nakate
Designation : Commissioner
Date: 2026.02.20 19:48:59 IST
Reason: Approved

का गोदाम उसके पड़ोस की दुकान या समूह के क्षेत्र से न्यूनतम 500 मीटर की दूरी से कम दूरी पर स्वीकृत नही किया जा सकेगा।

11. वार्षिक गारण्टी राशि का निर्धारण :–

11.1 ऑनलाईन नीलामी/ई–बिड या नवीनीकरण की प्रकिया के अनुसार प्रत्येक दुकान/समूह के लिए वार्षिक गारण्टी राशि का निर्धारण किया जायेगा।

11.2 निर्धारित वार्षिक गारण्टी राशि पेटे देशी मदिरा (RML सहित), भारत निर्मित विदेशी मदिरा, हेरिटेज मदिरा, बीयर एवं वाईन के मासिक उठाव के लिये जमा कराई गई आबकारी ड्यूटी तथा BIO की होलसेल फीस का भराव दिया जायेगा।

11.3 निर्धारित वार्षिक गारण्टी राशि 12 महीनों या शेष महीनों (एक वर्ष से कम अवधि के लिए स्वीकृति की स्थिति में) में बराबर–बराबर बांटी जायेगी एवं तद्नुसार प्रतिमाह मदिरा का उठाव करना होगा।

11.4 वार्षिक गारण्टी राशि में देशी मदिरा (RML सहित) की आबकारी ड्यूटी का अनुपात नीलामी के समय न्यूनतम रिजर्व प्राईस में निर्धारित अनुपात के अनुरूप ही रहेगा। अर्थात नीलामी के समय न्यूनतम रिजर्व प्राईस की कुल राशि में देशी मदिरा (RML सहित) की राशि का जो अनुपात है, वही अनुपात निर्धारित वार्षिक गारंटी राशि में देशी मदिरा (RML सहित) की गारंटी राशि का रहेगा।

11.5 वार्षिक गारंटी राशि में देशी मदिरा की गारंटी राशि के अतिरिक्त शेष गारंटी राशि के पेटे किसी भी प्रकार की मदिरा (देशी मदिरा, RML, IMFL, BIO, BII, RTD, हेरिटेज मदिरा आदि), वाईन, बीयर आदि का उठाव अनुमत होगा।

11.6 देशी मदिरा के लिये निर्धारित गारंटी राशि पेटे यदि कोई अनुज्ञाधारी अन्य प्रकार की मदिरा यथा आई.एम.एफ.एल., बीयर आदि का उठाव करना चाहता है तो उसे गांरटी राशि के साथ 50 यूपी देशी मदिरा (पेट पात्र) के लिये परिगणित बेसिक लाईसेंस फीस की राशि नकद जमा करानी होगी। अर्थात देशी मदिरा के लिए निर्धारित गारंटी राशि पेटे अनुाज्ञाधारी यदि आई.एम.एफ.एल. बीयर आदि का उठाव करता है तो उसे देशी मदिरा की गारंटी राशि के साथ इस राशि पेटे उठाई जा सकने वाली 50 यूपी देशी मदिरा (पेट पात्र) के लिये निर्धारित बेसिक लाईसेंस फीस की राशि नकद जमा करानी होगी।

11.7 देशी मदिरा के लिये निर्धारित गारंटी राशि में से न्यूनतम 25 प्रतिशत राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड निर्मित मदिरा का उठाव करना होगा। निर्धारित मात्रा में आर.एस.जी.एस.एम. निर्मित मदिरा का उठाव नहीं करने पर कम उठाई गई मदिरा पेटे 15 रूपये प्रति बल्क लीटर की दर से अतिरिक्त राशि जमा कराने पर अन्य उत्पादकों द्वारा निर्मित मदिरा का उठाव अनुमत होगा। इस राशि की गणना शेष राशि पेटे 50 यूपी देशी मदिरा (पेट पात्र) की मात्रा के आधार पर की जाएगी।

11.8 देशी मदिरा के लिये निर्धारित गारंटी राशि में से न्यूनतम 25 प्रतिशत राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) का उठाव करना होगा। निर्धारित मात्रा में राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) का उठाव नहीं करने पर कम उठाई गई मदिरा पेटे 15 रूपये प्रति बल्क लीटर की दर से अतिरिक्त राशि जमा कराने पर राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) के स्थान पर देशी मदिरा का उठाव अनुमत होगा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shivprasad M Nakate
Designation : Commissioner
Date: 2026.02.20 19:48:59 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 20653762

11.9 उपर्युक्त बिन्दु संख्या 11.6 के अनुसार यदि कोई अनुज्ञाधारी देशी मदिरा के स्थान पर अन्य मदिरा अर्थात आई.एम.एफ.एल., बीयर आदि का उठाव करता है तो उस माह में बिन्दु संख्या 11.7 व 11.8 अनुसार आर.एस.जी.एस.एम. मदिरा व आर.एम.एल. के उठाव के लिये देशी मदिरा की गारंटी की शेष राशि के आधार पर ही गणना की जाएगी। अर्थात अनुज्ञाधारी द्वारा जितनी गारंटी राशि पेटे अन्य मदिरा का उठाव किया गया है उस राशि को कम करके देशी मदिरा की गारंटी की शेष राशि में से 25 प्रतिशत आर.एस.जी.एस.एम. मदिरा तथा 25 प्रतिशत आर.एम.एल. का उठाव करना होगा।

11.10 कुल वार्षिक गारण्टी राशि में देशी मदिरा तथा राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) हेतु तय मात्रा का 3 प्रतिशत एसेप्टिक ब्रिक पैक का उठाव करना होगा।

11.11 देशी मदिरा में कम तेजी की 50 यू.पी. व 60 यू.पी. मदिरा को प्राथमिकता से उठाव एवं विक्रय का प्रयास किया जायेगा तथा इसके कम हानिकारक होने के संबंध में मदिरा उपभोक्ताओं को जागरूक किया जायेगा। यदि कम तेजी की मदिरा की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में नही होती है तो राज्य सरकार द्वारा इसके उठाव हेतु न्यूनतम मात्रा निर्धारित किये जाने पर विचार किया जा सकेगा।

11.12 अनुज्ञाधारी द्वारा किसी माह में निर्धारित मासिक गारंटी राशि से अधिक उठाव करने पर उसका समायोजन आगामी माह या माहों में मासिक गारंटी राशि पूर्ति हेतु किया जा सकेगा।

11.13 किसी माह में निर्धारित मासिक गारंटी राशि की 20 प्रतिशत तक बकाया रहने की स्थिति में अनुज्ञाधारी द्वारा अगले माह की 20 तारीख तक बकाया राशि की 150 प्रतिशत राशि के बराबर मदिरा उठाव या नकद जमा द्वारा इसकी पूर्ति की जा सकेगी। किसी भी माह में निर्धारित मासिक गारंटी राशि की 20 प्रतिशत से ज्यादा बकाया नही रहनी चाहिये, अन्यथा नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

11.14 **मासिक गारंटी राशि के कोटे को अन्य अनुज्ञाधारी को स्थानान्तरित करने की व्यवस्था** – मासिक गारंटी राशि की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में एक अनुज्ञाधारी को अपने कोटे के अंश विशेष को अन्य अनुज्ञाधारी को स्थानान्तरित करने की अनुमति दी जा सकेगी। इस बाबत बिक्री की शर्ते अंश विशेष को प्राप्त करने वाले अनुज्ञाधारी तथा अंश विशेष को देने वाले अनुज्ञाधारी द्वारा पारस्परिक आधार पर तय की जा सकेगी। स्थानान्तरित मात्रा को देने वाले के कोटे से कम किया जायेगा, परन्तु मासिक गारंटी राशि में कोई बदलाव किया नहीं माना जायेगा। इस प्रकार के कोटे का आपसी स्थानान्तरण ऑनलाईन स्वतः स्वीकृत किये जाने की व्यवस्था की जायेगी। इस प्रकार के कोटे के स्थानान्तरण हेतु उसी जिलें में स्थानान्तरण पर 10 रूपये प्रति बल्क लीटर तथा अन्य जिलें के अनुज्ञाधारी को स्थानान्तरण पर 20 रूपये प्रति बल्क लीटर राजकोष में कोटा देने वाले अनुज्ञाधारी द्वारा ट्रांसफर फीस के रूप में जमा कराना होगा। समूह में सम्मिलित दुकानों द्वारा आपस में गारण्टी हस्तान्तरण के लिए ट्रांसफर फीस नहीं ली जायेगी।

उक्त स्थानान्तरण कोटे की मात्रा देने वाले अनुज्ञाधारी की वार्षिक गारण्टी राशि के 20 प्रतिशत तथा समूह में हस्तान्तरण पर 50 प्रतिशत की मात्रा तक ही अनुमत होगी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shivprasad M Nakate
Designation : Commissioner
Date: 2026.02.20 19:48:59 IST
Reason: Approved

स्थानान्तरण कोटे की मात्रा लेने वाले अनुज्ञाधारी के लिये कोई सीमा निर्धारित नहीं होगी। आगामी वर्ष में वार्षिक गारण्टी राशि निर्धारण में इसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा।

12. देशी मदिरा एवं राजस्थान निर्मित मदिरा पर आबकारी ड्यूटी एवं बेसिक लाइसेंन्स फीस :–

12.1 देशी मदिरा तथा राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) पर आबकारी शुल्क तथा बेसिक लाईसेंस फीस वर्ष 2026–27 हेतु निम्नानुसार निर्धारित की गई है :–

क्र. सं.	मदिरा का प्रकार	आबकारी शुल्क (थोक निर्गम मूल्य का प्रतिशत)	बेसिक लाईसेंस फीस प्रति बल्क लीटर (राशि रूपयों में)
1	60 यू.पी. देशी मदिरा	120	46
2	50 यू.पी. देशी मदिरा	156	46
3	40 यू.पी. देशी मदिरा	170	46
4	5 यू.पी. देशी मदिरा (के.के.)	55	46
5	राजस्थान निर्मित मदिरा (RML)	190	80

12.2 खुदरा अनुज्ञाधारियों द्वारा देशी मदिरा, राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) के लिए आबकारी ड्यूटी के साथ बेसिक लाईसेंस फीस जमा कराई जायेगी।

13. किसी भी प्रकार की मदिरा अधिकतम विक्रय मूल्य से अधिक पर बेचान नही की जा सकेगी। अधिकतम विक्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर तथा जिस मदिरा का न्यूनतम विक्रय मूल्य आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित हैं, से कम मूल्य पर एवं निर्धारित समय से अतिरिक्त समय पर अनुज्ञाधारी या उसके नौकर द्वारा मदिरा बेचते हुए पाये जाने पर यह अनुज्ञा पत्र की शर्तो का उल्लंघन माना जायेगा, जिस हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

14. भारत निर्मित विदेशी मदिरा :

14.1 वर्ष 2026–27 के बन्दोबस्त में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सभी दुकानों पर देशी मदिरा एवं राजस्थान निर्मित मदिरा (RML), भारत निर्मित विदेशी मदिरा (IMFL), हेरिटेज मदिरा, वाईन, बीआईआई (BII) बीयर (Beer) बीआईओ (BIO) का विक्रय किया जा सकेगा।

14.2 भारत निर्मित विदेशी मदिरा (IMFL), हेरिटेज मदिरा, वाईन, बीआईआई (BII) बीयर (Beer) बीआईओ (BIO) मदिरा ग्लास, कैन, फूडग्रेड पैट, एसेप्टिक पैक एवं मैटल पैकिंग में उत्पादन एवं विक्रय किया जा सकेगा।

14.3 मदिरा एवं बीयर पर आबकारी ड्यूटी एवं अतिरिक्त आबकारी ड्यूटी एवं विदेशी मदिरा की होलसेल फीस राज्य सरकार द्वारा इस हेतु जारी गजट नोटिफिकेशन के अनुसार रहेगी। जिससे समय–समय पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकेगा।

14.4 मदिरा पर अन्य प्रभार यथा वेट, सरचार्ज, परमिट फीस एवं अन्य कोई सेस लागू होता है तो उसका भुगतान नियमानुसार करना होगा।

15. आगामी वित्तीय वर्षो में नवीनीकरण की प्रक्रिया :

15.1 वर्ष 2026–27 व 2027–28 के पात्र अनुज्ञाधारियों को क्रमशः वर्ष 2027–28 व 2028–29 के लिये निर्धारित शर्तो पर अनुज्ञापत्रों के नवीनीकरण का अवसर दिया जाएगा।

15.2 नवीनीकरण के लिये वे अनुज्ञाधारी ही पात्र होंगे जिन्होंने अपनी निर्धारित गारंटी राशि की पूर्ति कर ली जो तथा जिनके विरूद्व कोई बकाया नहीं हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shivprasad M Nakate
Designation : Commissioner
Date: 2026.02.20 19:48:59 IST
Reason: Approved

15.3 नवीनीकरण की प्रक्रिया में नीतिगत प्रावधान अनुसार वृद्धि की जाकर आगामी वर्ष की वार्षिक गारंटी राशि का निर्धारण किया जाएगा। अर्थात वर्ष 2027–28 व 2028–29 के लिये नवीनीकरण हेतु क्रमशः वर्ष 2026–27 व 2027–28 की निर्धारित वार्षिक गारंटी राशि में नीतिगत प्रावधानानुसार वृद्धि करते हुए नवीनीकरण वर्ष की वार्षिक गारंटी राशि का निर्धारण किया जाएगा।

15.4. नवीनीकरण की प्रक्रिया में इच्छुक अनुज्ञाधारियों द्वारा संबंधित वित्तीय वर्ष के जनवरी माह में आगामी वित्तीय वर्ष के लिये नवीनीकरण हेतु नवीनीकरण फीस के साथ आवेदन करना होगा। नवीनीकरण फीस की राशि आबकारी एवं मद्यसंयम नीति 2025–29 में संशोधन दिनांक 27.01.2026 के बिन्दु संख्या 2.6.1 एवं नीति में संशोधन अनुसार निर्धारित आवेदन फीस के अनुसार होगी।

15.5 जिन अनुज्ञाधारियों द्वारा निर्धारित अवधि में नवीनीकरण हेतु आवेदन मय फीस जमा करा दी हो, उनके द्वारा नवीनीकरण वर्ष प्रारंभ होने से पूर्व अग्रिम वार्षिक गारंटी राशि तथा वार्षिक लाईसेंस फीस की राशि व धरोहर राशि की अंतर राशि जमा कराई जाएगी।

15.6 अनुज्ञाधारी द्वारा निर्धारित अवधि में नवीनीकरण फीस के साथ नवीनीकरण हेतु आवेदन करने के बाद अग्रिम वार्षिक गारंटी राशि तथा वार्षिक लाईसेन्स फीस व धरोहर राशि की अंतर राशि जमा नही कराने पर उसका नवीनीकरण निरस्त कर नवीनीकरण फीस व जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।

15.7 नवीनीकरण के लिये निर्धारित तिथियों में आवश्यकता होने पर राज्य सरकार द्वारा संशोधन किया जा सकेगा।

15.8 अन्तरिम व्यवस्था के रूप में पड़त समूहों का आवंटन तत्समय प्रचलित गारंटी राशि पर अन्य अनुज्ञाधारियों को भी किया जा सकेगा। किसी पड़त समूह के संचालन के लिए एक से अधिक अनुज्ञाधारियों के इच्छुक होने पर सीमित बिड/नीलामी द्वारा अनुज्ञाधारी का चयन कर आवंटन किया जाएगा।

16. अनुज्ञाधारी को ट्रेक एण्ड ट्रेस प्रणाली हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी होगी।

17. रिटेल लाईसेन्स की शर्तों के उल्लंघन पर राजस्थान आबकारी अधिनियम की धारा 58सी के तहत अधिकतम विक्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर विक्रय करने पर तथा निर्धारित समय से अतिरिक्त समय पर दर्ज होने वाले अभियोगों में अनुज्ञा पत्र निलम्बन/निरस्तीकरण किया जायेगा। उपर्युक्त के अतिरिक्त अनुज्ञा पत्र की अन्य शर्तों के उल्लंघन करने पर अनुज्ञाधारी को सुनवाई का अवसर देकर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

18. आबकारी बन्दोबस्त, मद्य–संयम एवं शुष्क दिवसों के संबंध में अन्य प्रावधान/प्रक्रिया/व्यवस्था आबकारी एवं मद्यसंयम नीति वर्ष 2025–29 व इस नीति में किये गये संशोधन दिनांक 27.01.2026 के अनुरूप लागू रहेगें। अनुज्ञाधारी राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 एवं इसके तहत बने नियमों की पालना हेतु पाबन्द रहेगें।

19. आबकारी एवं मद्य संयम नीति वर्ष 2025–29 व नीति में संशोधन दिनांक 27.01.2026 एवं इसके तहत जारी की गई अधिसूचनाएं/विभागीय परिपत्र/ आदेश एवं राज्य सरकार/विभाग द्वारा मदिरा दुकानों के संबंध में समय–समय पर जारी आदेश/निर्देश अन्तिम होगें।

Signature Not Verified
आबकारी आयुक्त, राजस्थान
Digitally signed by Shivprasad M Nakate
Designation : Commissioner
Date: 2026.02.20 19:48:59 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 20653762

क्रमांक F.32(B)(After Policy 2026-27)/EX/L/2026-06481-9018219 दिनांक -02-2026

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान।
2. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान।
3. सयुंक्त शासन सचिव, वित्त (आबकारी) विभाग, राजस्थान।
4. अतिरिक्त आबकारी आयुक्त (नीति), आबकारी विभाग, उदयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, आबकारी विभाग, राजस्थान।
6. कार्यकारी निदेशक, राजस्थान स्टेट बेवरेजेज कॉर्पोरेशन, जयपुर।
7. महाप्रबंधक, राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल, जयपुर।
8. ब्रांच मेनेजर, एम.एस.टी.सी. लिमिटेड, जयपुर।
9. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), आई.टी. अनुभाग, उदयपुर।
10. अतिरिक्त आबकारी आयुक्त जोन समस्त.........................।
11. जिला आबकारी अधिकारी समस्त..................................।

आबकारी आयुक्त,राजस्थान

Signature Not Verified

Digitally signed by Shivprasad M Nakate
Designation : Commissioner
Date: 2026.02.20 19:48:59 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 20653762